



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग  
18, Institutional Area Shaheed Jeet Singh Marg,  
नई दिल्ली/NEW DELHI-110016 दूरभाष/Tele:  
2685857 फ़ैक्स/Fax: 011-26514179  
वेबसाइट/Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

प.सं.11055/टीजीटी/सी.वि.प्र.प./2018-19/के.वि.सं.(मु.)/स्था.-II)

दिनांक: 26.06.2019

### पदोन्नति पर पदस्थापन संशोधन आदेश

प्राथमिक शिक्षकों के पद से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत हुये निम्नलिखित शिक्षकों के दिनांक 08.03.2019 को जारी आदेश में पदस्थापन के स्थान में प्रशासनिक आधार पर (पदस्थापन के स्थान में रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण) एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किया जाता है। उक्त शिक्षकों को दिनांक 29.06.2019 तक संशोधित स्थान (कॉलम सं. 6 में उल्लिखित स्थान) पर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा उनका पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शिक्षकों का पदस्थापन स्थान संशोधन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य शर्तों के अधीन है।

| Sl. No | NAME OF TEACHER | POST WITH SUBJECT     | KV WHERE WORKING     | KV WHERE POSTED ON PROMOTION   | MODIFIED PLACE OF POSTING       |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2               | 3                     | 4                    | 5                              | 6                               |
| 1      | TGT--HINDI      | SANJU SHARMA          | KHICHRIPUR           | DELHI CANTT. NO. 1 (1ST SHIFT) | KV NO.3 DELHI CANTT (1ST SHIFT) |
| 2      | TGT--SCIENCE    | SMT. JYOTI            | NO. 1, AMBALA CANTT. | NO. 1, AMBALA CANTT.           | KV NO.2 CHANDIMANDIR            |
| 3      | TGT--SCIENCE    | MR. KHOOB CHAND MEENA | MOTI DUNGARI ALWAR   | NO.4 BHATINDA AFS              | KV JALORE                       |

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

  
(सरदीप सिंह चौहान) 26/6/19

सहायक आयुक्त (स्थापना 2/3)

वितरण:

1. संबंधित कर्मचारी।
2. प्राचार्य, संबंधिक केन्द्रीय विद्यालय।
3. उपायुक्त, संबंधित के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय।
4. गार्ड फाईल।